1.5

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे–शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/ जिला योजना / 2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर के अन्तर्गत जौलकांडे–शीशाखानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के निर्माण (प्रथम चरण) हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम शीशाखानी (आवादी 312) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा हैं। भारत सरकार द्वारा 250 से अधिक आवादी के सभी ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु योजना संचालित की जा रही है, उसी के कम में इस मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इस मार्ग निर्माण से ग्राम जौलकांडे एवं शीशाखानी की कुल 945 जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। ग्राम शीशाखानी के निवासियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि एवं बागवानी पर आधारित है। यहां पर विभिन्न प्रकार के फलों एवं शाक भाजी की अच्छी पैदावार होती है परन्तु विपणन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिली पाता जिससे नव युवकों का खेती की ओर से रूझान कम होता जा रहा है। सर्वेक्षण उपरान्त शीशाखानी तक इस मार्ग की लम्बाई 4 कि0मी0 आती है। जंगल के निकट का ग्राम होने से स्थानीय जनता अपनी दैनिक आवश्यकता हेतु जंगलों पर निर्भर रहती हैं जिससे प्रति वर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता है। जंगलों को बचाने हेतु शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रसोई गैस के उपयोग पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से लगभग 50 परिवारों को यातायात एवं परिवहन सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को अपने उत्पादों को नजदीकी मुख्य बाजार बागेश्वर तक लाने में मदद मिलेगी एवं उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। स्कूली बच्चों को अध्ययन हेतु बागेश्वर स्थित विघ्यालयों में आने जाने की सुविधा होगी जिससे मुख्यरूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकांश लम्बाई में वन भूमि आने एवं ग्रामीण मोटर मार्ग होने के कारण न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 07 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को सम्मिलित करते हुए कुल 2.2354 है0 वन भूमि एवं 181 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जबकि संरेखण नं0 2 में 246 चीड़ वृक्ष एवं अधिक वन भूमि प्रभावित होती हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर